



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
Dr. Rajendra Prasad Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फैक्स / Fax: +91-7152-230903

No. 15/2009/BOS/31/5/1
Dated: 20. 10. 2016

अधिसूचना

स्त्री-अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल का गठन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 15/2009/अ.बो./31 दिनांक 07.10.2014 द्वारा किया गया है जिसका कार्यकाल दिनांक 06.10.2016 को समाप्त हो गया है।

पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक: 45/2009 (संशोधित) के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार स्त्री-अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल (Board of Studies) का गठन निम्नानुसार किया जाता है-


1. विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष
2. विभाग के सभी प्रोफेसर- सदस्य
3. सभी एसोशिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर- सदस्य
4. भूतपूर्व विद्यार्थी- सुश्री ममता सिंह, सहायक प्रोफेसर
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
सुश्री माधुरी इखार (पी.डी.एफ. शोधार्थी)
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ- प्रो. यू. विंध्या, मनोविज्ञान विभाग
जेंडर अध्ययन विद्यापीठ, टाटा सामाजिक विज्ञान
संस्थान, हैदराबाद परिसर।
डॉ. अनघा तांबे, विभागाध्यक्ष
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले स्त्री अध्ययन केंद्र
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)

पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष के लिए होगा। पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 15/2009/अ.बो./31/266 दिनांक 08.04.2015 के अनुसार सुश्री ममता सिंह का कार्यकाल दिनांक 07.04.2017 तक होगा। सुश्री माधुरी इखार का कार्यकाल दिनांक 08.04.2017 से दिनांक 07.04.2019 तक के लिए होगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जा रही है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ।
3. प्रभारी विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग को संबंधित को सूचित करने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. संबंधित फाइल।


(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)